कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ हि०प्र०।

"प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 09.08.18"

प्रदेश में नशे की गंभीर समस्या से निबटने के लिएं जिला किन्नौर में समाज में नशे के विरूद्ध जागरूगता लाने के लिए हर थाना क्षेत्र में एक नशा निवारण समिति का गठन किया जा रहा है। इन समितियों में सदस्यता स्वैच्छिक होगी तथा समाज का कोई भी जागरूक सदस्य समिति का सदस्य बन सकता है। बशर्ते उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज न हो ।

दिनांक 07.08.18 को पुलिस अधीक्षक किन्नौर की अध्यक्षता में जिला किन्नौर पुलिस की मासिक कल्याण व अपराध सभा आयोजित की गई थी जिसमे इन समितियों के गठन व उदेश्यों के बारे में प्रभारी थाना व पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई व उपस्थित अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इन समितियों के गठन का उदेश्य युवा पीढ़ी को नशे से रोकना, आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, नशे के कारोबार से जुड़े तत्वों की सूचना एकत्रित करना तथा भांग व अफीम की खेती के बारे में सूचना एकत्रित करके इसे नष्ट करने में जन सहयोग प्राप्त करना है। थाना स्तर पर गठित इन समितियों का संयोजक संबधित थाना प्रभारी होगा व सचिव थाना का एन.जी.ओ. ग्रेड–1 अधिकारी होगा। उपमण्डल में स्थित थाना में गठित समिति का सचिव उपमण्डल अधिकारी का वाचक होगा।

इन समितियों में समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिशिचित की जाएगी व विशेषकर युवा वर्ग, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, व्यापार मण्डल व टैक्सी, ट्रक व बस आपरेटर युनियन व महिला मण्डलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा व महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सेवा निवृत पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सुरक्षा बलों के सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों व गृह रक्षकों को विशेष अधिमान दिया जाएगा। इन समितियों के सदस्यों की सदस्य संख्या निर्धारित नही होगी। समाज के सभी वर्गों से अपील की जाती है कि थाना स्तर पर गठित की जा रही इन समितियों के अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनें व समाज को नशा मुक्त करने में अपना कीमती सहयोग दें ताकि हम सब मिल कर समाज से इस भयानक रोग से मुक्ति दिला कर युवा पीढ़ी का भविष्य सुधार सकें। इन समितियों की कार्यप्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाएगा की पुलिस के साथ नशे के संदर्भ में सूचनाएं सांझा करने वाले हर व्यक्ति व संस्था का नाम पूर्णतया गुप्त रखा जाएगा।

कल दिनांक 08.08.18 को जिला किन्नौर के सभी थाना पर इस संदर्भ में प्रभारी थाना द्वारा पहली सभा का आयोजन किया गया व लोगों से इस समिति से जुड़ने का आहवाहन किया गया।

हस्ता/–

पुलिस अधीक्षक,
जिला किन्नौर, हि०प्र०।